

अनुपस्थित / उपस्थित -
अनुपस्थित / उपस्थित के अनुपस्थित
प्रकरण में बरस नहीं सुनी जा सकती।
प्राथमिक पत्र के बरस हेतु आदिना दि. 7/6/17
का पत्र है।

7/6/17

पत्रावली पेश हुई। प्राथमिक के अधिवक्ता
उपस्थित। विपक्षी सं. 03 भूमिधारी
तद्वतीलदार अनुपस्थित। अधिवक्ता प्राथमिक
की लक्ष्य पक्षीय बरस सुनी गई।
पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों

की जमाबंदी सव
174 में 6ज
हेमरे. भूमि तय
खाल सं. 47
0.80 हेमरे.
पत्रावली
लक्ष्य बनापे
बाद पूर्ण प्र
दफतर है

फार्म अटकाम

सहायक कलेक्टर एवं उपपर्य्य अधिकाारी काभमदेव


वालचंद वजे. विपक्षी सुकना वगे.

क्रमा प्रि. पत्र पत्रावली संख्या 17 सन् 2016

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
-----------------	---

का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता प्राथीगण की लक्षणीय बहस पर चिंतन व मनन किया गया, जिसके आधार पर प्रकरण के उभय पक्षकारान - प्राथीगण एवं विपक्षीगण को मौजा काठवाड़ा की जमाबंदी सन् 2069-72 के खास सं. 180 में 67 वर्ग कुल किला 16 रकबा 1.09 हेमरे. भूमि मौजा बिलखारि की जमाबंदी सन् 2069-72 के खास सं. 174 में 67 वर्ग कुल किला 30 रकबा 2.27 हेमरे. भूमि तथा मौजा बिलखारि के ही खास सं. 47 में 67 वर्ग कुल किला 0.5 रकबा 0.80 हेमरे. भूमि की रिपोर्ट व मौजे की पत्रावली मूल वाद के निस्तारण के लक्ष्य बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

पत्रावली कुसल शुमार होकर वाद पूर्ण प्रविष्टि नम्बर से अम की जाकर दायित्व दफ्तर हो। पत्रावली मूल वादे की पत्रावली के साथ संलग्न की।


 (काठवाड़ा) (विपक्षी)

C.A.
 1